| तारीख हुक्म | **रतनाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)**<br>सू.अ.अपील संख्या 249 / 2022 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु |
|---|---|---|
| 02.09.22 | अपीलार्थी रतनाराम निवासी धाणा विश्नोईयान, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2022 में उसके द्वारा खसरा न. 1460 वर्तमान राजस्व ग्राम डेलूम्बा झंवर के वर्ष 1988 में इस खसरा से लिंक अन्य खसरे 1463, 1542, 1464 के बीच में आपसी सहमति से बंटवारे का सहमति पत्र, उप तहसीलदार लूणी द्वारा चलाई गई नोटशीट एवं इससे संबंधित अन्य सभी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |